अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज.)

कमांक : रीडर/2021/147 दिनांक 17.05.2021

आम सूचना

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र सं. 8/पी.आई./2021 दिनांक 16.05.2021 द्वारा कोरोना वायरस संकमण की रोकथाम की दिशा में जारी दिशा निर्देशों के लिये श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय धौलपुर के आदेश दिनांक 17.05..2021 अनुपालना में दिनांक 18.05.2021 से दिनांक 24.05.2021 तक के कार्य दिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी–

1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरण
3. व्यादेश/स्थगन सम्बन्धी प्रकरण
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. अपील की दशा में सजा स्थगन प्रार्थना पत्र
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हो।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त **जिन प्रकरणों में मुल्जिम न्यायिक अभिरक्षा में हैं, उनमें आगामी पेशी 25.06.2021 नियत की जाती है** तथा शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु निम्न तिथियॉ सुनिश्चित की जाती है। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

वर्तमान नियत तिथि	आगामी नियत तिथि
18.05.2021	26.07.2021
19.05.2021	27.07.2021
20.05.2021	28.07.2021
21.05.2021	29.07.2021
22.05.2021	30.07.2021
24.05.2021	31.07.2021

परिवर्तित तिथियॉ शीघ्र ही CIS 3.0 पर अपडेट कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुये न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात् यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी परन्तु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

Sd

अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
धौलपुर

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय धौलपुर को सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, धौलपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अभिभाषकगण को सूचित करावे तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करे कि वे अपने पक्षकारान को प्रकरणों की तारीखों की सूचना मोबाईल आदि से दे ताकि वे न्यायालय में आने से बचे और संकमण मुक्त व सुरक्षित रहे।
3. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि आम सूचना न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करे।